फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवानलाल **विपक्षी : श्री उंकार**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 15/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.11.2022 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। विपक्षी सं. 1/1, 1/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 2 से 4 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 979 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 997 में से होकर 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर पूव में जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 997 रकबा 2.09 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 1,33,691/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 20,054/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 व 1/2 के पिता व विपक्षी सं. 2 से 4 के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: : <u>आदेश</u> : :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 979 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 997 मे से 0.03 बीघा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 26 गट्ठा लम्बा एवं 2 गट्ठा चौडा का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1,33,691/– अक्षरे एक लाख तैतीस हजार छः सौ इकानवे रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.03 बीघा की कुल कीमत 20,054/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 40,108/– रूपयें चालीस हजार एक सौ आठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी सं. 1/1, 1/2 व 2 से 4 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षीगण को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2022.12.17 13:30:53 IST Reason: SelfAttested (श्रीकांत व्यास) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	